नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय: प्रथम तल, एम.पी. रोड-1, रघुनाथपुर, सैक्टर-22,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यू.पी.,

परिशिष्ट IV नियम 8(1) देखें
आस्तियों के कब्जे की सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिसी में वर्णित

1. मैसर्स सीडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर इसके प्रोपराईटर श्री विजय कुमार गुप्ता (उधारकर्ता) के माध्यम से
2. श्री अतुल गंगवार (गारंटर 1)
3. श्री अंकित कुमार गुप्ता (गारंटर 2)
4. श्रीमती पूनम (गारंटर 3)

ऋण खाता सं. 1001021000077, 1001043000178 and 1001043000183 के संबंध में, को मांग नोटिस **NCBL/2024/0019,** दिनांक 06.05.2024 को जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में उल्लेखित बकाया राशि रु. **75,66,200/-** (रु. पिचहत्तर लाख छियासठ हजार दो सौ मात्र) दिनांक 31.07.2023 तक और साथ में साधारण ब्याज, पीनल ब्याज, कानूनी खर्चे, वसूली खर्चे और निपटान की तिथि तक लगाए गए अन्य विविध व्यय के साथ, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

डिमांड नोटिस की हार्ड कॉपी उधारकर्ता और गारंटर 1 को दिनांक 08.05.2024 को, गारंटर 2 को दिनांक 11.05.2024 को और गारंटर 3 को दिनांक 10.05.2024 को पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सफलतापूर्वक भेजी गई थी।

उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **18.07.2024** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रुप से उधारकर्ता तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, के प्रभार वास्ते रु. **75,66,200/-** (रु. पिचहत्तर लाख छियासठ हजार दो सौ मात्र) दिनांक 31.07.2023 तक **और लागू भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

अनुसूची 'क'
पार्ट-।
(मैसर्स सीडीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा खाता सं. 1001021000077 के माध्यम से नकद ऋण (सीसी) लिमिट के रूप में लिया गया ऋण)

सुविधा की प्रकृति	दिनांक 31.07.2023 तक बकाया राशि
नकद ऋण सीसी-077	31 जुलाई, 2023 तक रु. 62,81,756/- (रु. बासठ लाख इक्यासी हजार सात सौ छप्पन मात्र) और 1 अगस्त, 2023 से अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज कानूनी खर्चों के साथ उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अप्रयुक्त और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, वसूली व्यय, विविध लागत और शुल्क आदि

पार्ट-।।
(नोटिसकर्ता(ओं) श्री विजय कुमार, श्री अंकित कुमार गुप्ता और श्री अतुल कुमार गंगवार द्वारा निष्पादित बंधक के निर्माण को प्रमाणित करने वाले सभी अनुपूरक दस्तावेजों सहित सुरक्षा दस्तावेजों का विवरण।)

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	निष्पादन की तारीख	पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित	सुरक्षित राशि
1.	गारंटी पत्र	29.03.2019 और 04.08.2020	श्री अतुल कुमार गंगवार और श्री अंकित कुमार गुप्ता	25,00,000/- और 60,00,000/-
2.	डिमांड प्रॉमिसरी नोट	04.08.2020	श्री विजय कुमार	60,00,000/-
3.	सतत सुरक्षा पत्र	04.08.2020	श्री विजय कुमार	60,00,000/-
4.	ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ का पत्र	04.08.2020	श्री विजय कुमार	60,00,000/-
5.	सामान्य अवधि ऋण समझौता	04.08.2020	श्री विजय कुमार	60,00,000/-
6.	उधारकर्ता और जमानत का प्रमाण पत्र	04.08.2020	श्री विजय कुमार	60,00,000/-
7.	स्थायी अनुदेश	04.08.2020	श्री विजय कुमार	60,00,000/-
8.	ऋण जारी करना	04.08.2020	श्री विजय कुमार	60,00,000/-
9.	दृष्टिबंधक समझौता	04.08.2020	श्री विजय कुमार	60,00,000/-

अनुसूची 'बी'
पार्ट-।
(मेसर्स सीडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा खाता संख्या 1001043000178 के माध्यम से सावधि ऋण (टीएल) के रूप में लिया गया ऋण)

सुविधा की प्रकृति	दिनांक 31.07.2023 तक बकाया राशि
टर्म ऋण टीएल-178	31 जुलाई, 2023 तक रु. 46,556/- (रु. छियालीस लाख पाँच सौ छप्पन मात्र) और 1 अगस्त, 2023 से अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज कानूनी खर्चों के साथ उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अप्रयुक्त और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, वसूली व्यय, विविध लागत और शुल्क आदि

पार्ट-।।
(नोटिसकर्ता(ओं) श्री विजय कुमार और श्रीमती पूनम द्वारा निष्पादित बंधक के निर्माण को प्रमाणित करने वाले सभी अनुपूरक दस्तावेजों सहित सुरक्षा दस्तावेजों का विवरण)

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	निष्पादन की तारीख	पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित	सुरक्षित राशि
1.	प्रत्याभूत के पत्र	30.07.2020	श्रीमती पूनम	3,18,000/-
2.	मांग वचन पत्र	30.07.2020	श्री विजय कुमार	3,18,000/-
3.	सतत सुरक्षा पत्र	30.07.2020	श्री विजय कुमार	3,18,000/-
4.	सामान्य अवधि ऋण समझौता	30.07.2020	श्री विजय कुमार	3,18,000/-
5.	उधारकर्ता एवं जमानतदार का प्रमाणपत्र	30.07.2020	श्री विजय कुमार	3,18,000/-
6.	खड़े अनुदेश	30.07.2020	श्री विजय कुमार	3,18,000/-
7.	ऋण की रिहाई	30.07.2020	श्री विजय कुमार	3,18,000/-
8.	दृष्टिबंधक समझौता	30.07.2020	श्री विजय कुमार	3,18,000/-

अनुसूची 'सी'
पार्ट-।
(मैसर्स सीडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा खाता सं. 1001043000183 के माध्यम से कार्यशील पूंजी अवधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) के रूप में लिया गया ऋण)

सुविधा की प्रकृति	दिनांक 31.07.2023 तक बकाया राशि
कार्यशील पूंजी अवधि ऋण डब्ल्यूसीटीएल-183	31 जुलाई, 2023 तक रु. 12,37,888/- (रु. बारह लाख सैंतीस हजार आठ सौ अट्ठासी मात्र) और 1 अगस्त, 2023 से अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज कानूनी खर्चों के साथ उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अप्रयुक्त और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, वसूली व्यय, विविध लागत और शुल्क आदि

पार्ट-।।
(नोटिसकर्ता श्री विजय कुमार और श्रीमती पूनम द्वारा निष्पादित बंधक के निर्माण को प्रमाणित करने वाले सभी अनुपूरक दस्तावेजों सहित सुरक्षा दस्तावेजों का विवरण)

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	निष्पादन की तारीख	पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित	सुरक्षित राशि
1.	मांग वचन पत्र	09.01.2023	श्री विजय कुमार	25,00,000/-
2.	सतत सुरक्षा पत्र	09.01.2023	श्री विजय कुमार	25,00,000/-
3.	ग्रहणाधिकार पत्र और सेट-अ,फ	09.01.2023	श्री विजय कुमार	25,00,000/-
4.	सामान्य अवधि ऋण समझौता	09.01.2023	श्री विजय कुमार	25,00,000/-
5.	उधारकर्ता एवं जमानतदार का प्रमाणपत्र	09.01.2023	श्री विजय कुमार	25,00,000/-
6.	खड़े अनुदेश	09.01.2023	श्री विजय कुमार	25,00,000/-
7.	ऋण जारी करें	09.01.2023	श्री विजय कुमार	25,00,000/-
8.	दृष्टिबंधक समझौता	09.01.2023	श्री विजय कुमार	25,00,000/-

अनुसूची 'डी'
पार्ट-।
उधारकर्ता ने सुरक्षा के रूप में प्लांट एवं मशीनरी, स्टॉक का बंधक रखने का प्रस्ताव किया:

i) प्लांट एवं मशीनरी का विवरण:

क्र. सं.	वस्तु	मात्रा	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
1.	मापांक	9	6468/-	58212/-
2.	इंवेटर	1	27000/-	27000/-
3.	संरचना	3000	13500/-	13500/-
4.	डीसी केबल	20	600/-	600/-
5.	एसी केबल	20	2800/-	2800/-
6.	एसीडीबी	1	3000/-	3000/-
7.	डीसीडीबी	1	2900/-	2900/-
8.	अर्थिंग	1	1500/-	1500/-
9.	लाईटिंग अवरोधक	1	100/-	1000/-
10.	अर्थिंग केबल	30	1050/-	1050/-
11.	एमसी4 कनेक्टर	15	675/-	675/-
12.	पीवीसी नाली पाइप	1	1500/-	1500/-
13.	पीवीसी बेंट	1	500/-	500/-
14.	गिट्टी	1	360/-	360/-
15.	क्लिप	1	300/-	300/-
16.	थिम्बल (रिंग प्रकार)	6	36/-	36/-
17.	थिम्बल (पिन प्रकार)	6	36/-	36/-
18.	फास्नर	16	192/-	192/-
19.	केबल टाई	1	160/-	160/-
20.	पीवीसी टेप	4	36/-	36/-
	कुल			1,15,357/-

पार्ट-।।

ii) स्टॉक विवरण:

क्र. नं.	सामान	मात्रा (संख्या)	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1.	डीसी वाटर पंप (0.5 एचपी)	5	35000	1,75000/-
2.	डीसी जल पंप (1 एचपी)	4	67000	2,68,000/-
3.	डीसी जल पंप (2 एचपी)	2	75000	1,50,000/-
4.	डीसी जल पंप (3 एचपी)	4	85000	3,40,000/-
5.	डीसी वाटर पंप(5 एचपी)	3	100000	3,00,000/-
6.	इन्वर्टर (3 किलोवाट)	4	41000	1,64,000/-
7.	इन्वर्टर (5 किलोवाट)	6	50000	3,00,000/-
8.	ल्यूमिनस इन्वर्टर (1 किलोवाट)	1	5000	5000/-
9.	स्लेशिड	8	100000	8,00,000/-
10.	पैनल (250डब्ल्यू)	16	8000	1,28,000/-
11।	बैटरी	2	10000	20,000/-
12.	जीपीएस ट्रैकर	5	4499	22,495
13.	जीपीएस ट्रैकर	4	5999	23,996/-
14.	एचपीएल मीटर (1 फेज)	4	4500	18,000/-
15.	एचपीएल मीटर (3 फेज)	8	8500	68,000/-
16.	डीसी केबल (3 कोर, 70वर्ग मिमी	70	500	35,000/-
17.	आर्मर्ड संचार (300 मिमी)	300	300	90,000/-
18.	डीसी केबल (सिंगल कोर, 4sqmm (Cu)	175	27	4,725/-
19.	एसी केबल (3 कोर, 4sqmm(Cu)	200	65	13,000/-
20.	अर्थिंग तार (1 कोर 6sqmm0	180	24	4,320/-
21.	माउंटिंग संरचना (पूर्व-जस्ती)	0	70	-
22.	बीएफसी के साथ अर्थिंग किट (मॉडल ईजी जी-50(जीआई) लंबाई=2000मिमी लंबी, आउटर दाई-50मिमी आंतरिक पट्टी-40'6मिमी, बैकफिल पंप-50किग्रा (ईआरआईसी)	4	1100	4400
23.	MC4 कनेक्टर	0	34	-
24.	फ्लेक्सीसबल पाइप (25 मिमी)	0	110	-
25.	पीवीसी कंड्यूट पाइप (25 मिमी)	0	36	-
26.	पीवीसी कंड्यूट बेंड/कोण (1 इंच)	0	110	-
27.	स्प्रिंग वॉशर के साथ संयुक्त बोल्ट 10*25 मिमी)	0	90	-
28.	स्प्रिंग वॉशर के साथ संयुक्त बोल्ट (6*25 मिमी)	0	90	-
29.	ग्राउंड फास्टनर (10मिमी)	0	10	-
30.	पीवीसी क्लिप	0	150	-
31.	पीवीसी गिट्टी	0	25	-
32.	पीवीसी गिट्टी स्क्रू	0	30	-
33.	केबल टाई (300 मिमी)	0	100	-
34.	थिम्बल रिंग प्रकार (4 मिमी)	0	40	-
35.	थिम्बल पिन प्रकार (4 मिमी)	0	40	-
36.	पीवीसी टेप	0	24	-
37.	सैडल (जीआई स्ट्रिप फिक्सिंग के लिए पैटी)	0	140	-
	कुल			29,33,936/-

स्थान: नोएडा, दिनांक: 18-07-2024

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

शेयर विभाग, बोर्ड और समन्वय प्रभाग
प्लाट संख्या-4, द्वारका सेक्टर-10, नई दिल्ली-110075
ई-मेल आईडी : hosd@pnb.co.in, दूरभाष # 011-28044857

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित बैंक का शेयर प्रमाण पत्र खोने/गुम/चोरी होने के रूप में रिपोर्ट किया गया है और इसके पंजीकृत धारक/दावेदार ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया है:-

शेयरधारकों / दावेदारों का नाम	फोलियो संख्या	प्रमाण-पत्र संख्या	शेयरों की विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
मनुभाई पटेल (मृतक) बीना दीपन देसाई (दावेदार)	1088517	15184	6738193770- 6738193884	115

किसी व्यक्ति द्वारा उक्त शेयरों के संबंध में कोई दावा/उपरोक्त उल्लिखित शेयरधारक/दावेदार के पक्ष में डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में किसी भी आपत्ति के मामले में उसे/उन्हें इस सूचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर अपने दावे या आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में बैंक द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं किया जाता है तो डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र/पुष्टिकरण पत्र जारी किए जाएंगे। सामान्य जन को उपर्युक्त प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह के लेन-देन से सावधान किया जाता है।

कृते पंजाब नैशनल बैंक
(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

दिनांक : 19.07.2024
स्थान : नई दिल्ली

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

संपत्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई,महाराष्ट्र-400051
शाखा कार्यालयः प्लॉट नं.-7, 7वीं मंजिल, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

"एस्सेल फाइनेंस बिजनेस लोन लिमिटेड (इसके बाद इसे "एस्सेल" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (इसके बाद इसे "बैंक/केएमबीएल/सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 21.06.2023 को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद इसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाएगा) का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है।

इसके द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि बैंक ने ऋण खाता संख्या LNDEL00616-170000567 के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार श्री योगेन्द्र पाल और श्रीमती मधु द्वारा लिया गया ऋण को 16-07-2024 तक बकाया रु. 21,44,369/-(इक्कीस लाख चौवालीस हजार तीन सौ उनहत्तर रुपए मात्र)की वसूली तक भविष्य में लागू ब्याज की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई-नीलामी के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को "जैसा है जहां है" "जैसा है, जैसा है", और "जो कुछ है" के आधार पर बेचने का फैसला किया है।

विशेष	विवरण
नीलामी की तिथि	08.08.2024
नीलामी का समय	5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच
आरक्षित मूल्य	रु. 13,75,000/- (रुपये तेरह लाख पचहत्तर हजार मात्र)
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	रु. 1,37,500/- (रुपये एक लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र)
केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	07.08.2024 सायं 5:00 बजे तक (आईएसटी)
सुरक्षित संपत्ति का विवरण	गांव बिसरख जलालपुर, परगना और तहसील-दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306 में स्थित खसरा संख्या 765 वाली संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश ,जिसकी माप 127.20 वर्ग गज यानी 106.35 वर्ग मीटर है। सीमाः पूर्वः 12 फीट चौड़ी कच्ची सड़क, पश्चिमः अजब सिंह का प्लॉट, उत्तरः विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः मामचंद और किशन लाल का प्लॉट।
ज्ञात भार	SANO.513/2023 डीआरटी लखनऊ में दायर है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता श्री राहुल रंजन (+91 8745077693) श्री प्रशांत गौतम (+91 9643615436)से संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाता बैंक के आईवीआर नंबर (+91-9152219751) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.kotak.com तथा/अथवा https://bankauctions.in/ पर उपलब्ध लिंक https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देखें।

स्थानः गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
दिनांकः 20.07.2024

कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड,
प्राधिकृत अधिकारी

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

करोल बाग शाखा, (DP Code 0367) दिल्ली-110005

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि **केनरा बैंक की करोल बाग शाखा** के साथ कई लॉकर लॉकर धारकों द्वारा खोले गए हैं और जिनके संबंध में लॉकर समझौते गायब हैं और साथ ही, लॉकर धारक पिछले लॉकर का संचालन नहीं कर रहे हैं। वर्षों की संख्या या लॉकर शुल्क के बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

क्र. सं.	लॉकर धारक का नाम	लॉकर नं.	पता	लॉकर शुल्क की बकाया अवधि	बकाया राशि (रु. में)
1)	साहनी ऑटोमोबाइल्स	309	1510 26 नाईवाला करोल बाग नई दिल्ली 110005	01/04/2021	रु. 17,110/-
2)	सोनिया कुमार	760	8/31, डब्ल्यू ई ए, करोल बाग, दिल्ली 110005	01/04/2021	रु. 15,406.30/-

कुछ मामलों में लॉकर धारक का स्वर्गवास होने का पता चला है। इस सूचना के द्वारा, एतद्द्वारा सभी इच्छुक व्यक्तियों को यह अधिसूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के 15 दिन की अवधि के भीतर संबंधित शाखाओं में लॉकर के संबंध में पुष्ट प्रमाण जैसेकि पासपोर्ट, आधार कार्ड और निवास का प्रमाण इत्यादि के साथ पधारें, लॉकर की बकाया राशि अदा करें तथा नया लॉकर एग्रीमेंट करें अथवा अपना सामान निकालें। यदि किसी लॉकर के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक लॉकर शुल्क के बकाया की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई के लिए विवश होगा। लॉकर शुल्क के बकाया की वसूली के लिए लॉकर की सामग्री पर अपना ग्रहणाधिकार निष्पादित करते समय इसकी सामग्री को अलग रखें।

दिनांक: **18.07.2024** स्थान: नई दिल्ली शाखा प्रबंधक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
भू तल, प्लेट बी ब्लॉक,
04 एनबीसीसी, पूर्वी किदवई नगर,
नई दिल्ली - 110023
विधिक विभाग

दूरभाष (011) 26164817 / 26197769, फैक्स : (011) 26171554, ई-मेल : legal_del@mahabank.co.in
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005

परिशिष्ट IV
अधिग्रहण सूचना
ख्प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत,

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चाँदनी चौक शाखा दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 08.04.2024 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री राधा गुप्ता (उधारकर्ता / साझीदार : मैसर्स मुरली इलेक्ट्रिक स्टोर) तथा श्री रोहित कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता (उधारकर्ता / साझीदार : मैसर्स मुरली इलेक्ट्रिक स्टोर), पता : ए-55, प्रीत विहार, दिल्ली-110092 तथा गारंटरगण 1. श्री सचिन गुप्ता पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता, 2. श्री रितेश गुप्ता पुत्र श्री राधा किशन गुप्ता, 3. श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री राधा किशन गुप्ता तथा 4. श्री रोहित कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता, पता : ए-55, प्रीत विहार, दिल्ली-110092 को सूचना में अंकित राशि **रु. 1,21,25,730/- (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख पच्चीस हजार सात सौ तीस मात्र). दिनांक 08.04.2024 से प्रभावी संविदागत दर (मांग सूचना में उल्लिखितानुसार) प्रतिशत की दर पर अप्रयुक्त ब्याज. लागत, शुल्क तथा एनपीए की तिथि अर्थात् 29.03.2024 से उपगत व्ययों** (08.04.2024 के बाद हुई वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर) का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता / गारंटर को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, **15 जुलाई 2024** को अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता / गारंटर को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, **रु. 1,21,25,730/- (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख पच्चीस हजार सात सौ तीस मात्र) की एक राशि. दिनांक 08.04.2024 से प्रभावी संविदागत दर (मांग सूचना में उल्लिखितानुसार) प्रतिशत की दर पर अप्रयुक्त ब्याज. लागत, शुल्क तथा एनपीए की तिथि अर्थात् 29.03.2024** से उपगत व्ययों (08.04.2024 के बाद हुई वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर) हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चाँदनी चौक शाखा के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

भूखंड सं. ए-48 धारक संपत्ति, जो प्रीत विहार के रूप में विदित प्रीत नगर को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के लेआउट प्लान में स्थित है, जिसका अधिमापन 163.33 वर्ग गज है।

(अश्विनी ए कुलकर्णी)
एजीएम तथा प्रभारी एआरसी
प्राधिकृत अधिकारी, दिल्ली क्षेत्र

दिनांक : 19-07-2024
स्थान : दिल्ली

रेलटेल

(भारत सरकार का उपक्रम)
(सीआईएन सं: U64202DL2000GOI107905)

निविदा संख्या : रेलटेल/टेंडर/ओटी/ईआर/एनक्यू/
2024-25/1540, दिनांक: **19.07.2024**

रेलटेल/पूर्वी क्षेत्र "रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पूर्वी क्षेत्र के लिए असम और पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा) में विभिन्न ग्राहक स्थानों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए डार्क फाइबर लिंक को किराये पर लेना" के कार्य हेतु पात्र बोलीदाताओं से ई-बोलियां आमंत्रित करता है।

विस्तृत निविदा सूचना / निविदा दस्तावेज **https://www.railtel.in, https://eprocure.gov.in** और **https://railtel.enivida.com** पर उपलब्ध है। भविष्य के सभी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र आदि को रेलटेल वेबसाइट, सीपीपी पोर्टल और ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को केवल ई-निविदा पोर्टल पर अपनी बोली जमा करनी होगी।

Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
Jaswinder Singh
Vs.
Rajesh Bhandula
CNR NO: PBLD03-021446-2022
COMA/7066/2022

Notice To: 1) Rajesh Bhandula Address- Prop/auth, Sign, Fashion King, Killa Road Rohtak Haryana (98127-63119, 98122-83827)

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 22-08-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs.
Sandhya Rajoriya
CNR NO: PBLD03-039653-2021
COMA/13145/2021

Notice To: 1) Roopesh Rajoriya @ Roopesh Kumar Rajoriya S/o Ganesh Prasad Rajoriya R/o Dhanwantri Nagar, Housing Board Colony Hdk 14-15, Jasuja City Baju Me, Jabalpur, Madhya Pradesh

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 31-07-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

नोएडा अंचल कार्यालय,
जॉय टावर, दूसरा तल सी ब्लॉक, फेज 2
इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर-62,
नोएडा-201301

आर्किटेक्ट्स और ठेकेदारों का पैनल

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक, नोएडा जोन के अर्न्तगत बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखाओं और इसके कार्यालयों में आर्किटेक्ट्स और ठेकेदारों (सिविल/इंटीरियर/ फर्निशिंग/ इलेक्ट्रिकल वर्क्स और एयर कंडीशन वर्क्स के लिए) के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र सहित अन्य सभी विवरण हमारे कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं या बैंक की वेबसाइट **www.bankofmaharashtra.in/tender** से 19.07.2024 से 03.08.2024 तक डाउनलोड किए जा सकते हैं।

बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

जिन एजेंसियों ने पहले ही दिनांक 23.09.2022 के विज्ञापन के माध्यम से आवेदन कर दिया है, उन्हें नया आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 03.08.2024 को शाम 4.00 बजे तक। अपेक्षित शुल्क (1000 रुपये) के बिना आवेदन या अपूर्ण/अहस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर जमा करें:-

बैंक ऑफ महाराष्ट्र नोएडा जोन,
जॉय टावर, द्वितीय तल, 1/1ए ब्लॉक फेज-2
इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-62 नोएडा - 201301

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट
www.bankofmaharashtra.in पर जाएं।

स्थानः नोएडा
दिनांकः 19.07.2024

ह-
उप क्षेत्रीय प्रबंधक, नोएडा जोन

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)
निगमित कार्यालय : 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू,
मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना(एं) निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता सकारण मानते हैं कि उधारकर्ता(गण) जो हैं वे मांग सूचना(नों) की प्राप्ति कर भुगतान करने के दायित्वों से बच रहे हैं, अतः उन तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना को नियमावली के अनुसार उनके ध्यानार्थ स्थान-स्थान पर चिपकाया जा रहा है और इसका प्रकाशन किया जा रहा है। मांग सूचना(ओं) की विषयवस्तु के निष्कर्ष यहां इसमें नीचे दिये गये हैं :

उधारकर्ता (ओं) / विधिक उत्तराधिकारी (रियों) के नाम	मांग सूचना तिथि राशि	बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण
1. मोह. रिजवान 2. मुन्नी बेगम 3. मो. निजामुद्दीन 4. सहाबुद्दीन वशीर अहमद	01 जुलाई, 2024 रु. 21,26,069/- (इक्कीस लाख छब्बीस हजार उनहत्तर रुपये मात्र) 25 जून, 2024 के अनुसार	संपत्ति की मालकिन - मुन्नी बेगम पत्नी शाहबुद्दीन। वह सारी संपत्ति और आवासीय भूखंड का पार्सल जो फरीदापुर चौधरी में स्थित है, 311 अरी का हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल 107.020 वर्ग मीटर है जो फरीदापुर चौधरी तहसील और जिले के गांव बरेली में स्थित है और इसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व- प्लॉट शाहिद बेग, पश्चिम- रास्ता 16 फिट चौड़ा उसके बाद खेत अन्य का, उत्तर- प्लॉट अब्दुल खालिद, दक्षिण- अरी अन्य।

उधारकर्ता (ओं) / विधिक उत्तराधिकारी (रियों) के नाम	मांग सूचना तिथि राशि	बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण
1. विनोद साड़ी सेंटर 2. विनोद निषाद 3. राजू निषाद 4. सीमा रजुनिषाद 5. शिव काली	09 जुलाई, 2024 रु. 24,79,501/- (रुपये चौबीस लाख उन्यासी हजार पाँच सौ एक मात्र) 05 जुलाई, 2024 के अनुसार	संपत्ति का मालिक - श्री विनोद कुमार निषाद पुत्र गंगा प्रसाद। वह सभी संपत्ति का टुकड़ा और पार्सल मकान नंबर 357-बी, क्षेत्राधिमापन 100 वर्ग गज = 83.61 वर्ग मीटर, जो काजी खेड़ा कानपुर नगर में स्थित है जो निम्नानुसार सीमाओं से घिरा हैः पूर्व- जानकी नाथ मिश्रा का घर, पश्चिम- 10 फुट खड़ंजा रोड, उत्तर- मकान नं. 357 राज कुमार शर्मा का, दक्षिण- डी. सी. चक्रवर्ती का घर।

उधारकर्ता (ओं) / विधिक उत्तराधिकारी (रियों) के नाम	मांग सूचना तिथि राशि	बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण
1. अनुराग कनौजिया 2. राम प्रकाश कनौजिया 3. मीनू कनौजिया	01 जुलाई, 2024 रु. 20,58,221.91/- (रुपये बीस लाख अट्ठावन हजार दो सौ इक्कीस और इक्यानबे पैसे मात्र) 25 जून, 2024 के अनुसार	संपत्ति के स्वामी - श्री राम प्रकाश कनौजिया पुत्र श्री राम दुलारे कनौजिया। वह सारी संपत्ति टुकड़ा और अंश, जो उस मकान के रूप में है जो प्लॉट संख्या 16 पर बना है, जिसकी माप 800 वर्ग फुट यानी 74.34 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 271 और 272 के हिस्से पर, मोहिबुल्लापुर वार्ड- फैजुल्लागंज लखनऊ में स्थित है, जो निम्न प्रकार से सीमाओं से घिरा हैः पूर्व- अरजी दीगर, पश्चिम- प्लॉट सं. 15, उत्तर- समिति का आरा, दक्षिण- 10 फुट चौड़ी सड़क।

उधारकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और वहां उन सूचनाओं में तथा यहां इसमें उपरोक्त तालिका में अंकित मांग राशि का, भुगतान की वसूली होने की तिथि तक गणनाकृत लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्कों, लागत और व्ययों के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर भुगतान करें। उधारकर्ता(गण) यह ध्यान में रखें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह एक प्रतिभूत ऋणदाता है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा जो है वह उधारकर्ता(ओं) द्वारा बंधक रखी गईं प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के रूप में अचल संपत्ति/संपत्तियों के समक्ष एक प्रतिभूत ऋण है।

इस प्रकरण में उधारकर्ता(गण) जो हैं वे चूंकि अनुबंधित समय के अंदर पूर्णरूपेण ढंग से अपने भुगतान दायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का अधिग्रहण करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उपलब्ध समस्त अधिकारों का प्रयोग करने की अधिकारी होगी, जिसमें विक्रय के माध्यम से परिसंपत्तियों का हस्तांतरण अथवा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार का उपयोग करना तथा भुगतान वसूल करना सम्मिलित होगा, परंतु यह इतने तक ही सीमित भी नहीं होगा। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह विक्रय अथवा हस्तांतरण करने के लिए अधिकार का प्रवर्तन करने से पूर्व प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) की कुर्की तथा/अथवा सील करने के लिए भी सशक्त है। प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विक्रय के उपरांत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के पास यह अधिकार भी है कि वह उस स्थिति में, शेष देयराशियों को वसूल करने के लिए पृथक विधिक कार्यवाहियां आरंभ कर सकती है, यदि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को भुगतानयोग्य देयराशियों का भुगतान पूर्ण करने के लिए बंधक संपत्तियों का मुद्रामूल्य अपर्याप्त होता है। यह उपाय एक अतिरिक्त उपाय है और किसी अन्य विधि-व्यवस्था के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को उपलब्ध समस्त अन्य उपायों से अलग है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा उस इसके अतिरिक्त उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा उधारकर्ता(ओं) को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का निस्तारण करने अथवा उनका लेन-देन करने अथवा किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को बिक्री, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषेधित किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न होने पर यह उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(गण), यदि वे इच्छुक हैं, तो प्रतियां किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 15-07-2024

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, मोरना शाखा, B1-A/12, सेक्टर 51,
गौतमबुद्ध नगर, यूपी - 201301
ईमेल आईडीः morna@bankofbaroda.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

"परिशिष्ट IV-A [अचल संपत्ति के लिए नियम 6(2) एवं 8(6) के परंतुक देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परंतुक के तहत चल/अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधकदाता(ओं) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा प्रत्याभूत लेनदार, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, निम्नलिखित खाता/तों से बकाया राशि की वसूली के लिए **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी। कर्जदार/रों/बंधकदाता/गारंटर/रों/प्रतिभूत आस्ति/यों/बकाया राशि/सुरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी तथा बोली वृद्धि रशि का विवरण नीचे वर्णितानुसार होगा :-

क्र. सं.	कर्जदार/रों / गारंटर/रों बंधककर्ता/ओं के नाम एवं पता	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो	कुल देय	ई-नीलामी की तिथि/ समय	सुरक्षित मूल्य ईएमडी न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	कब्जा की स्थिति	निरीक्षण तिथि और समय
1.	उधारकर्ताः श्री पवन कुमार पुत्र श्री सियाराम महाराज सह-उधारकर्ताः श्रीमती बबीता शर्मा पत्नी श्री पवन कुमार दोनों निवासी फ्लैट ऊपरी तल, बैक साइड प्रॉपर्टी नंबर 17-बी, खसरा नंबर 642, मोहन गार्डन, गांव नवादा, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059	पताः ऊपरी तल पर फ्लैट (पीछे की ओर), बिना छत अधिकार के, संपत्ति संख्या 17-बी, आनुपातिक क्षेत्रफल 103 वर्ग गज, खसरा संख्या 642, मोहन गार्डन, गांव नवादा, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059 में से, श्री पवन कुमार पुत्र श्री सियाराम महाराज और श्रीमती बबीता शर्मा पत्नी श्री पवन कुमार के नाम पर	रु. 50,88,057.60 (रुपये पचास लाख अट्ठासी हजार सत्तावन और पैसे साठ मात्र) 10-09-2022 तक + ब्याज और उस पर अन्य शुल्क	07.08.2024 समय अप. 02.00 से अप. 06.00 बजे तक	रु. 28,10,000/- रु. 2,81,000/- रु. 10,000/-	भौतिक	02.08.2024 एवं पूर्व. 10.00 से अप. 02.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** एवं ऑनलाइन नीलामी पोर्टल **https://ebkray.in** देखें।
संभावित बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाईल **8929163245** पर संपर्क कर सकते हैं।

तिथिः 19.07.2024, स्थानः नोएडा
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा